



Case No. 112 /2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/SER-1839/DL/2/2024-RU-IV

श्री पांडुरंग के पोले
सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
दिल्ली जीएनसीटी पुराना सचिवालय,
विधानसभा के पास, दिल्ली, 110054
E.mail: pstechedu@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **02/12/2025** को **16:30 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

संदर्भ 1

- (i) लगभग 15 माह से निलंबित चल रहे, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत श्री हरि सिंह मीना, व्याख्याता (हिंदी), राजकीय वरिष्ठ बाल विद्यालय, मंगोलपुर खुर्द, दिल्ली को उनके पद पर पुनः बहाल करने के संबंध में मीना श्री हरि सिंह, सी-168/ए, समता एन्कलेव, कुतुब विहार, फेज-1, नई दिल्ली का दिनांक 18.12.2024 का पत्र /अभ्यावेदन।
- (ii) NCST letter dated 17.06.2025 along with Minutes of the Sitting held on 16.05.2025.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **19/11/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

[Signature]

न्यायालय अधिकारी

मोहर



Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

Copy to:- NIC for uploading